पहला - अध्याय

राज्य शासन का वित्त

1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे उन्नीस विवरणों में निहित हैं, जिनमें राज्य सरकार की प्राप्तियाँ और व्यय, राजस्व तथा पूंजीगत, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे प्रदर्शित है । वित्त लेखों की रूप रेखा बॉक्स 1.1 में वर्णित है।

बॉक्स 1.1

विवरण क्रं. 1 राज्य सरकार के लेन देनों के सारांश का प्रदर्शन - प्राप्तियाँ और व्यय राजस्व और पूंजीगत समेकित निधि में लोक ऋण प्राप्तियॉ और भुगतान इत्यादि आकस्मिकता निधि और राज्य के लोक लेखा।

विवरण क्रं. 2 में 2002-03 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाते हुए पूंजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण निहित है।

विवरण क्रं. 3 में सिंचाई कार्यो के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियॉ चालन व्यय और संधारण प्रभार पूंजीगत परिव्यय, शुद्ध, लाभ या हानि इत्यादि दिये गये है।

विवरण क्रं. 4 में राज्य के ऋणों की स्थिति का जिसमें आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से उधारियां अन्य अनुगृहिताओं और ऋणों की सेवाएं निहित हैं का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रं. 5 राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान और बकाया की वसूलियॉ इत्यादि का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रं. 6 सांविधिक निगमों स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों का सार दर्शाता है।

विवरण क्रं. 7 ऐसे शेषों से निर्मित नगद शेषों और निवेशों का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रं. 8 31 मार्च 2003 की स्थिति में समेकित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत अवशेषों का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रं. 9 वर्ष 2002-2003 के लिये विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत राजस्व/व्यय को कूल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है।

विवरण क्रं. 10 वर्ष के दौरान भारित और दत्तमत व्यय के मध्य वितरण दर्शाता है।

विवरण क्रं. 11 लघु शीर्षो द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा दर्शाता है।

विवरण क्रं. 12 मुख्य शीर्ष वार योजना, राज्य योजनागत और पृथक से केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं और पूंजीगत के अंतर्गत लघु शीर्षो द्वारा राजस्व व्यय के लेखाओं का प्रावधान।

विवरण क्रं. 13 2002-03 के दौरान और अंत तक किये गये पूंजीगत व्यय का विवरण दर्शाता है।

विवरण क्रं. 14 2002-03 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कंपनियों अन्य संयुक्त पूंजी में राज्य सरकार के कंपनियों सहकारी बैकों और समितियों इत्यादि पूंजी निवेश का विवरण दर्शाता है ।

विवरण क्रं. 15 2002-2003 के अंत तक पूंजीगत और अन्य व्यय और उस व्यय के लिए जिन मुख्य स्त्रोतों से निधियॉ जुटाई गई को दर्शाता है ।

विवरण क्रं. 16 ऋण, आकस्मिकता निधि और लोकलेखा से संबंधित शीर्षो के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों के विस्तृत लेखे दर्शाता है ।

विवरण क्रं. 17 छत्तीसगढ़ सरकार के ऋणों और अन्य ब्याज वाले ऋणों का विस्तृत लेखा प्रदर्शित करता है ।

विवरण क्रं. 18 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किये गये ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत लेखा, वर्ष के दौरान ऋणों की राशि का पुनः भुगतान, 31 मार्च 2003 की स्थिति में शेष और वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त राशि का विवरण दर्शाता है ।

विवरण क्रं. 19 पृथक रक्षित निधियों के शेषों का विवरण दर्शाता है।

1.2 गत वर्ष के संदर्भ से वित्त की प्रवृति

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य शासन की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी ।

(करोड़ रूपये में)

2001-02	क्रं. सं.	मुख्य संकलन	2002-03
		भाग - क प्राप्तियॉ	
4376	**1**	राजस्व प्राप्तियॉ (2 + 3 + 4)	**5417**
1993	**2**	**कर राजस्व**	**2327**
722	**3**	**कर भिन्न राजस्व**	**957**
1661	**4**	**अन्य प्राप्तियॉ**	**2133**
9	**5**	गैर ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियॉ	**19**
9	**6**	**उनमें से ऋण की वसूली**	**19**
4385	**7**	**कुल प्राप्तियॉ (1 + 5)**	**5436**
		भाग-ख व्यय	
3952	**8**	आयोजनेत्तर व्यय (9+11)	**4291**
3928	**9**	**राजस्व लेखों पर**	**4260**
731	**10**	**उनमें से ब्याज का भुगतान**	**810**
24	**11**	**पूँजीगत लेखों पर**	**31**
3	**12**	**उनमें से ऋण वितरण**	**30**

1550	**13**	आयोजना व्यय (14+15)	**2118**
1017	**14**	**राजस्व लेखों पर**	**1270**
533	**15**	**पूँजीगत लेखों पर**	**848**
78	**16**	**उनमें से ऋण वितरण**[1]	**29**
5502	**17**	कुल व्यय (8-13)	**6409**
		भाग-ग घाटा	
1117	**18**	राजकोषीय घाटा (17-7)	**973**
569	**19**	राजस्व घाटा (9+14-1)	**113**
386	**20**	प्रारम्भिक घाटा (+) आधिक्य (-) (18-10)	**163**

1.3 वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और सविंतरण का सार

तालिका 1: वित्त लेखे और अन्य विस्तृत विवरणों के विवरण-1 में दर्शाये अनुसार वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ और व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ और व्यय, लोक ऋण प्राप्तियाँ और संवितरण और लोक लेखा प्राप्तियाँ और संवितरण को शामिल करते हुए वर्ष 2002-03 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सार ।

तालिका 1: वर्ष 2002-2003 हेतु प्राप्तियों और संवितरण का सार

(करोड़ रूपये में)

2001-02	प्राप्तियाँ	2002-03	2001-02	संवितरण	2002-03		
			खण्ड-क राजस्व				
					आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
4376	**I राजस्व प्राप्तियाँ**	**5417**	**4945**	**I राजस्व व्यय**	**4260**	**1270**	**5530**
1993	**कर राजस्व**	**2327**	**1746**	**सामान्य सेवाएं**	**1838**	**1**	**1839**
722	**कर - भिन्न राजस्व**	**957**	**1915**	**सामाजिक सेवाएं**	**1356**	**730**	**2086**
1176	**संघीय करों/ शुल्कों का अंश**	**1350**	**1151**	**आर्थिक सेवाएं**	**904**	**539**	**1443**
485	**भारत सरकार से अनुदान**	**783**	**133**	**सहायक अनुदान/ अंशदान**	**162**	**--**	**162**
			पँजीगत				
--	**II विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ**	**--**	**476**	**II पँजीगत परिव्यय**	**1**	**819**	**820**
9	**III ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ**[2]	**19**	**81**	**III ऋण और अग्रिमों का संवितरण**	**30**	**29**	**59**
995	**IV लोक ऋण प्राप्तियाँ**	**1613**	**184**	**IV लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**413**	**--**	**413**
5620	**V लोक लेखा प्राप्तियाँ**	**6924**	**5223**	**IV लोक लेखा संवितरण**	**6644**	**--**	**6644**
120	**प्रारम्भिक शेष**	**211**	**211**	**अन्त शेष**	**718**	**--**	**718**
11,120	***योग***	***14184***	***11,120***	***योग***	***12066***	***2118***	***14184***

1 *अन्तर्राज्यीय समाशोधन के समायोजन सहित ऋण एवं पेशगियां*

2 *अन्तर्राज्यीय परिशोधन का समायोजन सहित ऋण और अग्रिम*

1.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

वर्ष 2002-2003 के वित्त लेखों के विवरणों से मुख्य कुल राजकोषीय प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रवृत्ति वित्त लेखों की लेखापरीक्षा में अवलोकन करने पर उपस्थित होती है ।

इस उद्देश्य के लिए अपनाये गये आधारभूत सूचक हैं (I) परिणाम और साधनों द्वारा संसाधन (II) संसाधनों का उपयोग (III) परिसम्पत्तियाँ और उत्तरदायित्व और (IV) घाटे का प्रबंधन। लेखापरीक्षा में संसाधन के संग्रहण के प्रयत्नों के संचयी प्रभाव, ऋण सेवाएं और राजकोषीय मापों का सुधार को भी लिया गया है । कुल मिलाकर राज्य सरकार का वित्तीय निष्पादन एक निकाय के समतुल्य, अनुपातों के एक समूह के उपयोग के द्वारा साधारण रूप से राजकोषीय योगों की सापेक्ष व्याख्या अपनाई जाकर प्रस्तुत की गई है ।

प्रतिवेदित मापदण्ड बॉक्स 1.2 में दर्शाये गये हैं ।

बॉक्स 1. 2 **प्रतिवेदित मापदण्ड**
राजकोषीय संकलित जैसे कर और कर भिन्न राजस्व, राजस्व और पूँजीगत व्यय, आँतरिक एवं बाह्य ऋण और राजस्व एवं राजकोषीय घाटे प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रतिशत के समान राज्य के सकल घरेलु उत्पाद को प्रस्तुत किये गये हैं । राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रकाशित 1993-94 के आधार पर नवीन राज्य के सकल घरेलु उत्पाद श्रृंखला उपयोग की गई है । **कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए राज्य के सकल घरेलु उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के संदर्भ में उतार-चढ़ाव की सीमा में आगामी अनुमानों पर तरलशीलता प्रक्षेत्र भी प्रदाय किया गया है ।** **2001-2003 के दौरान वृद्धि की प्रवृति की अधिकांश श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है । राज्य के सकल घरेलु उत्पाद के संदर्भ में अनुपात भी दर्शाया गया है । कुछ शब्दों के उपयोग को परिशिष्ट-V में स्पष्ट किया गया है ।**

राज्य सरकार के लेखे तीन (I) समेकित निधि (II) आकस्मिकता निधि और (III) लोक लेखा भागों में रखे गये हैं ये बॉक्स 1.3 में परिभाषित हैं ।

<table>
<tr><th colspan="2">बॉक्स 1.3
राज्य सरकार की निधियाँ और लोक लेखा</th></tr>
<tr><td>समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, कोषालय देयकों द्वारा जारी समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि के रूप में है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि को स्थापित किया गया था ।</td><td>आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई, इसमें विधानमंडल द्वारा अधिकृत होना लंबित होने पर अनवेक्षित आवश्यक व्यय किये जाने हेतु अग्रिम प्रदान करने हेतु स्थायी अग्रिम के रूप में राज्यपाल को सक्षम बनाया गया है बाद में विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है । तत्पश्चात् समेकित निधि से अग्रिमों की भरपाई की जाती है ।</td></tr>
<tr><td colspan="2">लोक लेखा

सरकार की सामान्य प्राप्तियाँ और व्यय के अतिरिक्त, समेकित निधि से सम्बन्धित कुछ अन्य लेन देन शासकीय लेखों में प्रविष्टि हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार, साहूकार के रूप में कार्य करती है । भविष्य निधियों से लघु बचतें, अन्य जमाएं इत्यादि से सम्बन्धित लेन देन, कुछ उदाहरण हैं । इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत निर्मित लोक लेखा में प्राप्त लोक धन और उसमें से प्रदाय किये गये उससे सम्बन्धित संवितरणों को रखा जाता है ।</td></tr>
</table>

1.5 आधारभूत सूचकों द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति

1.5.1 परिमाण और स्त्रोतों द्वारा संसाधन

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं । राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश और केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं । पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे पूँजी निवेश न करने पर आय, ऋण और अग्रिमों की वसूली, ऋणों की आन्तरिक साधनों से प्राप्तियाँ अर्थात् बाजार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों/व्यापारिक बैंकों इत्यादि से उधारियां इत्यादि और भारत सरकार से अग्रिम जैसे कि लोक लेखों से प्राप्तियां इत्यादि सम्मिलित हैं ।

तालिका - 2 राज्य शासन की वर्ष 2002-03 के लिये 13973 करोड़ रूपये की कुल प्राप्तियाँ दर्शाती हैं । इसमें से राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियाँ केवल 5417 करोड़ रूपये की है जो कुल प्राप्तियों का 39 प्रतिशत होती है । शेष प्राप्तियाँ उधार एवं लोक लेखा से प्राप्त हैं ।

तालिका 2: छत्तीसगढ़ के संसाधन (2002-2003)

(करोड़ रूपये में)

I राजस्व प्राप्तियाँ				5417
II पूँजीगत प्राप्तियाँ				1632
	(अ)	विविध प्राप्तियाँ	-	
	(ब)	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	19	
	(स)	लोक ऋण प्राप्तियां	1613	
III लोक लेखा प्राप्तियाँ				6924
	(अ)	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	375	
	(ब)	आरक्षित निधि	256	
	(स)	जमा और पेशगियां	1058	
	(द)	उचंत और विविध	3389	
	(य)	प्रेषण	1846	
कुल प्राप्तियाँ				***13973***

1.5.2 राजस्व प्राप्तियाँ

शासन की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखे के विवरण II में है । राज्य की राजस्व प्राप्तियों में मुख्य रूप से राज्य के निजी कर और कर भिन्न राजस्व, भारत सरकार से स्थानांतरित केन्द्रीय कर और सहायता अनुदान सम्मिलित हैं । कुल मिलाकर राजस्व प्राप्तियाँ, उनकी वार्षिक वृद्धि की दर, इन प्राप्तियों का राज्य के सकल घरेलू उत्पादों का अनुपात और उनकी तरलशीलता तालिका 3 में दर्शायी गई है ।

तालिका-3 राजस्व प्राप्तियाँ - आधारभूत मानदण्ड

(मूल्यः करोड़ रूपये में और अन्य प्रतिशत में)

	2001-02	**2002-03**
राजस्व प्राप्तियाँ	**4376.00**	**5417.00**
निजी कर	**45.55**	**42.96**
कर भिन्न राजस्व	**16.50**	**17.67**
केन्द्रीय कर स्थानांतरण	**26.87**	**24.92**
सहायता अनुदान	**11.08**	**14.45**
वृद्धि की दर	-- *	**23.79**
राजस्व प्राप्तियाँ/राज्य के सकल घरेलू उत्पाद	**14.46**	**16.27**
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि	- *	**10.02**
राजस्व तरलशीलता	- *	**2.37**

* छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवम्बर 2000 को हुआ था। इसलिए वृद्धि की दर, राजस्व तरलशीलता और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि निर्धारित नहीं की गई थी।

राज्य की 2001-2002 में 4376 करोड़ रूपये से 2002-2003 में 5417 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई। प्राथमिक रूप से राजस्व प्राप्तियों में अत्यधिक वृद्धि 61 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदानों में वृद्धि के कारण थी, कर भिन्न राजस्व में 33 प्रतिशत वृद्धि और कर राजस्व में साधारण वृद्धि थी (17 प्रतिशत)। राज्य सरकार के निजी संसाधनों से 61 प्रतिशत की एक औसतन वृद्धि थी। कुल राजस्व का केन्द्रीय निधियाँ और सहायता अनुदान दोनों निकटतम 39 प्रतिशत अभिदान था। कर राजस्व का मुख्य स्त्रोत विक्रय कर (47 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (16 प्रतिशत), वस्तुओं और यात्रियों पर कर (11 प्रतिशत), मुद्रांक और पंजीयन शुल्क (6 प्रतिशत), इत्यादि थे। कर-भिन्न राजस्व मुख्य रूप से खनन और धातु उद्योग (56 प्रतिशत) और वन एवं वन्य जीवन (11 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ।

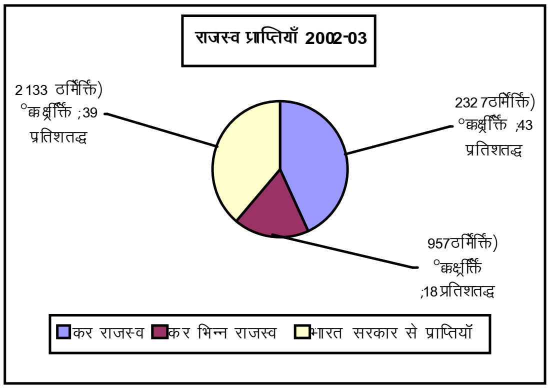

1.5.3 राजस्व बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2003 की स्थिति में राजस्व बकाया की राशि 117 करोड़ रूपये थी । जिसमें से 49.25 करोड़ रूपये (42 प्रतिशत) 5 वर्षों से अधिक समय के लम्बित थे।

बकाया मुख्य रूप से वाणिज्यिक कर (99.22 करोड़ रूपये), वाहनों पर कर (3.85 करोड़ रूपये), राज्य उत्पाद (13.45 करोड़ रूपये) और मुद्रांक एवं पंजीयन फीस (0.48 करोड़ रूपये) के थे । राजस्व के बकाया राज्य के राजस्व घाटे से अधिक थे (112.70 करोड़ रूपये) और प्रभावी कर संग्रहण उपायों के द्वारा राजस्व घाटा कम किया जा सकेगा ।

2000-2003 के दौरान भिन्न-भिन्न शीर्षों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के स्त्रोत तालिका 4 में दर्शाये गये हैं ।

तालिका-4 प्राप्तियों के साधनों की स्थिति

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
		ऋण भिन्न प्राप्तियाँ	*ऋण प्राप्तियाँ*	*लोक लेखा में प्राप्ति*		
2000-01[3]	1883	01	348	2009	4241	10782
2001-02	4376	09	995	5620	11000	30265
2002-03	5417	19	1613	6924	13973	33297

1.6 संसाधनों की प्रयुक्ति

1.6.1 वृद्धि की प्रवृत्ति

वित्त लेखाओं के विवरण 12 में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूँजीगत व्यय का विवरण दर्शाया गया है । राज्य के कुल व्यय में 16.48 प्रतिशत की दर से 2001-02 में 5502 करोड़ रूपये से 2002-2003 में 6409 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान कुल व्यय की वृद्धि दर राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर से अधिक थी ।

राज्य का कुल व्यय, उसकी प्रवृत्ति और वार्षिक वृद्धि, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से व्यय का अनुपात और राजस्व प्राप्तियाँ और सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित उत्प्लव और राजस्व प्राप्तियाँ नीचे तालिका-5 में दर्शायी गई है ।

---

[3] (1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2000)

तालिका-5 कुल व्यय - आधारभूत मानदण्ड

(मूल्यः करोड़ रूपये में और अन्य प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03
कुल व्यय	**5502**	**6409**
	--	**16.48**
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**18.18**	**19.25**
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	**79.53**	**84.52**
कुल व्यय का उत्प्लव		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	--	**1.64**
राजस्व प्राप्तियाँ	--	**0.69**

राज्य सरकार के कुल व्यय का अधिकरण (86 प्रतिशत) राजस्व व्यय लेखांकित किया गया ।

क्रियाकलापों के सम्बन्ध में कुल व्यय, सामान्य सेवाओं में ब्याज के भुगतान, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, ऋण एवं अग्रिमों को समाहित करते हुए समस्त व्ययों से मिलाकर विचार किया जा सकता था । कुल व्यय में इन घटकों से संबंधित अंश नीचे दी गई तालिका-6 में दर्शाया गया है ।

तालिका-6 व्यय के घटक- सम्बन्धित अंश (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	औसत
सामान्य सेवाएं	32.10	28.99	30.55
सामाजिक सेवाएं	36.74	34.68	35.71
आर्थिक सेवाएं	27.27	32.88	30.07
सहायता अनुदान	2.42	2.53	2.48
ऋण एवं पेशगियां*	1.47	0.92	1.19

कुल व्यय में सामान्य सेवाएं और सामाजिक सेवाओं के अंश में वर्ष 2001-02 में 32.10 प्रतिशत और 36.74 प्रतिशत से 2002-03 में क्रमशः 28.98 प्रतिशत और 34.68 प्रतिशत की गिरावट हुई, आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित अंश 2001-02 में 27.27 प्रतिशत से 2002-03 में 32.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

1.6.2 राजस्व व्यय का संयोग

कुल व्यय में राजस्व व्यय का विशिष्ट अंश था । राजस्व व्यय आमतौर पर वर्तमान स्तर की परिसम्पत्तियों और सेवाओं के रख-रखाव हेतु किया जाता था । कुल मिलाकर राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि की दर, राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व व्यय का अनुपात और राजस्व प्राप्तियाँ, और उसकी उत्प्लव सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियाँ दोनों के साथ इसकी उत्प्लव नीचे तालिका-7 में निहित था ।

* *अन्तर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है ।*

तालिका-7 राजस्व व्यय- आधारभूत मापदण्डों

(मूल्य करोड़ रूपये में और अन्य प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03
राजस्व व्यय	4945	5530
वृद्धि की दर	--	11.83
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	16.34	16.61
कुल व्यय के अनुसार राजस्व व्यय का प्रतिशत	89.88	86.28
राजस्व प्राप्तियों के अनुसार राजस्व का प्रतिशत	113.00	102.09
राजस्व व्यय का उत्प्लव		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	--	1.18
राजस्व प्राप्तियाँ	--	0.50

राज्य के राजस्व व्यय में 2001-02 में 4945 करोड़ रूपये से बढ़कर 2002-03 में 5530 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई । राजस्व व्यय का 77 प्रतिशत, आयोजनेत्तर घटकों जबकि आयोजना व्यय केवल 23 प्रतिशत था । क्षेत्रवार व्यय दर्शाता है कि जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित) 33 प्रतिशत, (1839 करोड़ रूपये), सामाजिक सेवाओं पर 38 प्रतिशत (2086 करोड़ रूपये) और आर्थिक सेवाओं पर व्यय केवल 26 प्रतिशत, (1443 करोड़ रूपये) था।

2002-03 के दौरान कुल उपलब्ध निधियों का 39.58 प्रतिशत राजस्व व्यय लेखांकित किया गया था। यह राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंश (38.77 प्रतिशत कुल प्राप्तियों के) से न्यूनतम उच्च था, जो राजस्व घाटा दर्शाता था। राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात 2001-02 में 113 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 102.09 प्रतिशत रहा और राजस्व घाटा भी 568.66 करोड़ रूपये से 112.70 करोड़ रूपये कम हुआ।

1.6.3 उच्च वेतन और पेन्शन व्यय

राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 41 प्रतिशत के लगभग अकेले वेतन एवं पेन्शन भुगतानों में ही उपयोग किया गया था। तथापि, 2001-02 में 2284 करोड़ रूपये से 2002-03 में 2214 करोड़ रूपये वेतन एवं पेन्शन भुगतानों पर व्यय कम हुआ जैसा कि नीचे तालिका 8 में दर्शाया गया है।

तालिका-8

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03
वेतन और पेन्शन व्यय	2283.56	2213.66
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	52.18	40.86
राजस्व व्यय का प्रतिशत	46.18	40.03

सेवानिवृत्तों की संख्या बढ़ने के फलस्वरूप पेन्शन का दायित्व भविष्य में सम्भवतः बढ़ेगा। राज्य सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के तेजी से बढ़ते हुए पेन्शन दायित्वों के भुगतान हेतु किसी भी निधि का निर्माण नहीं किया था। पेन्शन दायित्वों की बढ़ती हुई दर को ध्यान में रखकर वर्तमान पेन्शन योजनाओं को विशेष महत्व की मानकर सुधार आवश्यक है।

1.6.4 ब्याज भुगतान

सम्पूर्ण शर्तों में ब्याज भुगतानों में 11 प्रतिशत से धीरे-धीरे 2001-02 में 731 करोड़ रूपये से 2002-03 में 810 करोड़ रूपये वृद्धि हुई, जो मुख्यतः राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु लगातार उधार लेने के कारण निर्मित हुई।

तालिका-9

वर्ष	ब्याज भुगतान	निम्न के संदर्भ में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	
	(करोड़ रूपये में)	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2001-02	731	16.70	14.78
2002-03	810	14.95	14.65

1.7 प्राथमिकता पर व्यय विभाजन

वित्त लेखे के विवरण - 12 से राज्य के आयोजना व्यय, पूंजीगत व्यय एवं विकासात्मक व्यय की प्रकृति के वास्तविक व्यय का प्रदर्शन राज्य के प्राथमिकता विभाजन को प्रतिबिम्बित होता है । कुल व्यय के इन घटकों का उच्चतर अनुपात व्यय की गुणवत्ता अच्छी थी । राज्य में कुल व्यय के इन घटकों के व्यय के अंश का प्रतिशत नीचे दी गई तालिका 10 में दिया गया है ।

तालिका-10 व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय का प्रतिशत)[4]

	2001-02	2002-03	औसत
आयोजनागत व्यय	28.17	33.05	30.61
पूँजीगत व्यय[5]	10.12	13.72	11.92
विकासात्मक व्यय	63.99	67.56	65.78

2002-2003 में आयोजनागत व्यय 2001-2002 के कुल व्यय के 28.17 प्रतिशत से बढ़कर 33.05 प्रतिशत हो गया है । 2002-2003 में पूँजीगत व्यय 2001-2002 के 10.12 प्रतिशत से बढ़कर 13.72 प्रतिशत हो गया है ।

---

4 *ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय सहित कुल व्यय*

5 *ऋण एवं अग्रिमों एवं अन्तर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित*

2002-03 में विकासात्मक व्यय (4,330 करोड़) में से वर्ष के दौरान विकासात्मक व्यय का सामाजिक सेवाओं (2,223 करोड़) के लिए 51.34 प्रतिशत लेखांकित किया गया। सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं जल प्रदाय एवं मल निकास पर सामाजिक क्षेत्र पर व्यय का 58.61 प्रतिशत उपयोग किया गया ।

तालिका-11 सामाजिक क्षेत्र का व्यय

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03
सामान्य शिक्षा	**697**	**750**
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	**244**	**272**
जल प्रदाय एवं मल निकास	**254**	**281**
योग	**1195**	**1303**

इसी प्रकार विकासात्मक व्यय का 2107 करोड़ रूपये आर्थिक सेवाओं का व्यय 48.66 प्रतिशत लेखांकित किया गया । जिसमें से इस क्षेत्र का 49.31 प्रतिशत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (रू. 525 करोड़ रूपये) परिवहन (428 करोड़ रूपये) एवं ऊर्जा (86 करोड़ रूपये) लेखांकित किये गये हैं।

तालिका-12 आर्थिक क्षेत्र का व्यय

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03
ऊर्जा	**82**	**86**
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	**289**	**525**
परिवहन	**233**	**428**
योग	**604**	**1039**

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्वायत संस्थाओं एवं प्राधिकरणों द्वारा सेवाओं के गैर वाणिज्यिक कार्य निष्पादित किये जाते है। ये निकाय/संस्थाएं शासन से सारभूत वित्तीय सहायता प्राप्त करती है । राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 आदि के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य संस्थाओं को शासन के विभिन्न कार्यकलापों को लागू करने के लिये भी सरकार द्वारा सारभूत वित्तीय सहायता दी जाती है । शासन द्वारा मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव शालाओं एवं अस्पताल भवनों के निर्माण एवं रख रखाव, सड़कों का उन्नयन एवं नगरपालिका एवं स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत संचार सुविधाओं के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है ।

नवम्बर 2000 से मार्च 2003 के अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को दी गई सहायता की मात्रा निम्नानुसार हैः-

तालिका-13

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**निम्न हेतु सहायता**	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**
1.	**शिक्षा**	**32.38**	**86.75**	**89.94**
2.	**शक्ति/ऊर्जा**	--	**64.25**	**65.00**
3.	**जल प्रदाय/मल निकास /आवास एवं शहरी विकास**	**4.91**	**8.76**	**34.91**
4.	**कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ**	--	**15.60**	**16.46**
5.	**कोई अन्य विकास गतिविधि**	**0.13**	**2.03**	**4.96**
	योग	**37.42**	**177.39**	**211.27**
	सहायता का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत		**4.05**	**3.90**
	राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	--	**3.59**	**3.82**

वित्त विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2002-2003 के दौरान छः[6] समूहों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों एवं एजेन्सियों को 289.24 करोड़ रूपये वित्तीय सहायता/ऋण स्वीकृत किये गये थे ।

स्थानीय निकायों को दिए गये सहायता अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुएः

अनुदानों का उपयोग न करनाः- अनुदानों के नियमों एवं विभाग द्वारा जारी स्वीकृति में अपेक्षित है कि अनुदानी को विशिष्ट उद्देश्य के लिये स्वीकृत अनुदान को वित्त वर्ष में पूरा उपयोग करना चाहिये । शेष राशि यदि कोई हो तो उसे शासन को जल्द से जल्द वापस कर देना चाहिये । तथापि वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न संस्थाओं/निकायों को जारी अनुदानों की 2.92 से 100 प्रतिशत की सीमा तक बचत कर पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया ।

वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान स्वीकृत अनुदानों हेतु 41.97 करोड़ रूपये के 299 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे (सितम्बर 2003 को)।

बकाया लेखेः- समस्त अनुदानी संस्थाओं को प्रति वर्ष वार्षिक लेखे विस्तृत वित्तीय सहायता को इंगित करते हुए यथा (अनुदान का उद्देश्य, किया गया वास्तविक व्यय आदि) प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

6 *विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्थायें (50.94 करोड़ रूपये), नगरनिगम एवं नगरपालिकाएं (175.13 करोड़ रूपये) जिला परिषद् एवं पंचायती राज संस्थायें (22.31 करोड़ रूपये) विकास एजेन्सियाँ (06.27 करोङ रूपये) अस्पताल एवं धर्मार्थ संस्थायें (0.70 करोड़ रूपये) एवं अन्य संस्थायें (33.89 करोड़ रूपये)*

यद्यपि शासन ने प्रति वर्ष यह सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। सितम्बर 2003 को वर्ष 2000-01 से 2002-03 हेतु 11[7] संगठनों से विस्तृत जानकारी प्रतीक्षित थी ।

1.8 परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ

सरकारी लेखांकन पद्धति में सरकार के स्वामित्व वाली स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि एवं भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता । तथापि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा सरकार द्वारा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का समावेश किया जाता है । वित्त लेखे के विवरण 16 सहपठित विस्तृत विवरण-17, वर्ष के अन्त में, कर्जे, जमा एवं प्रेषण शीर्ष से देयताओं एवं परिसम्पत्तियों की संगणना दर्शाता है।

परिशिष्ट-I में 31 मार्च 2002 की स्थिति से तुलना 31 मार्च 2003 को ऐसी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों का सार प्रस्तुत किया गया है । इस विवरण की देयताओं में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा आन्तरिक उधारियाँ, भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ, लोक लेखे से प्राप्तियाँ तथा आरक्षित निधि से धन अर्जन समाविष्ट है, जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय, एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे एवं पेशगियाँ समाविष्ट है।

छत्तीसगढ़ सरकार की देयताओं को वित्त लेखे में दर्शाया गया है। तथापि राज्य के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन,अन्य सेवानिवृत्ति लाभ एवं राज्य द्वारा जारी गारन्टियां/सुविधा पत्रों को शामिल नहीं किया गया है । परिशिष्ट-I से IV 2001-2003 की अवधि हेतु राज्य सरकार की वितीय स्थिति पर समय श्रृंखला के आँकड़ों को दर्शाता है।

1.8.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

अवधि के दौरान वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं पर 80.54 करोड़ रूपये के राजस्व व्यय के साथ वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि 2002-2003 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (53.72 करोड़ रूपये) परियोजना पर किये गये राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत था।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनायें

31 मार्च 2003 की स्थिति में 2023.23 करोड़ रूपये के संचयी निवेश के साथ 72 निर्माणाधीन परियोजनाएँ थी। निर्माणाधीन एवं अपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ण सूची प्रतीक्षित थी।

---

[7] *इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (2002-03) महाप्रबन्धक, दुग्ध संघ उरला, दुर्ग(2002-03), छत्तीसगढ़ राज्य विधि सेवा प्राधिकारी (2002-03), उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर (2002-03), रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, जगदलपुर (2002-03), धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल धमतरी (2000-01) से, रजिस्ट्रार, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर (2000-01), एकीकृत विकास परियोजना, जशपुर, रायगढ़ एवं बस्तर (2000-01) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव एवं अम्बिकापुर (2001-02), विपणन सहकारी समितियां अकलतारा, सारगांव एवं प्रतापपुर (2000-01)*

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

सरकार द्वारा विकासात्मक, निर्माणात्मक,विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु पूँजीगत परिव्यय में निवेश किया जाता है । निवेशों के वर्षवार विवरण एवं प्राप्त लाभांश/ब्याज निम्नानुसार थे :

तालिका 14: निवेश पर प्रतिलाभ

(करोड रूपये में)

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिलाभ	प्रतिलाभ का प्रतिशत	सरकार की बाजार उधारी पर ब्याज दर (प्रतिशत)
2001-02	15.30	5.00	32.68	8.00
2002-03	35.84	25.57	71.34	7.34

2002-2003 के दौरान घोषित लाभांश/प्राप्त ब्याज एवं सरकार को जमा की राशि 25.57 करोड़ रूपये (71 प्रतिशत) थी ।

संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, तथा सहकारी संस्थाओं में कुल 1628 करोड़ रूपये के निवेश का अभी उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य बंटवारा किया जाना है।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं पेशगियाँ

सरकार, विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक क्रियाकलापों के लिये सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, सहकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि को कर्जे एवं पेशगियाँ देती है। नवम्बर 2000 से मार्च 2003 तक की अवधि हेतु स्थिति नीचे दी गई हैः

तालिका 15: राज्य सरकार द्वारा कर्जों एवं पेशगियों पर औसत प्राप्त ब्याज

(करोड़ रूपये में)

	2001-2002	2002-2003
प्रारंभिक शेष	138.33	184.34
वर्ष के दौरान पेशगी राशि	49.52	57.70
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	3.51	18.46
अंतिम शेष	184.34	223.58
निबल वृद्धि (+)/कमी(-)	46.01	39.24
प्राप्त ब्याज (करोड़ रूपयें में)	0.03	31.53
लम्बित कर्जे एवं पेशगियों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	0.02	14.10
राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की औसत दर	10.73	9.96
ब्याज के भुगतान एवं प्राप्ति के मध्य अन्तर	(-)10.71	4.14

1.8.5 रोकड़ शेषों का प्रबन्धन

सामान्य रोकड़ शेष समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के संयुक्त शेष को प्रदर्शित करता है।

रिजर्व बैंक के साथ किये गये एक करार के तहत 1 नवम्बर 2000 से छत्तीसगढ़ सरकार को बैंक में प्रत्येक दिन 0.72 करोड़ रूपये का न्यूनतम शेष रखना पड़ता है । प्रत्येक कार्य दिवस के अन्त में बैंक सरकार को बैंक में उनके दैनिक शेष की सूचना तार द्वारा देता है। यदि यह शेष राशि साप्ताहिक निपटारे के दिनों में सहमत न्यूनतम शेष राशि से कम होती है तो उस कमी की पूर्त्ति रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (साधारण या विशेष) लेकर या भारत सरकार के खजाना बिलों को बेचकर की जाती है। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम पर 6.25 प्रतिशत ब्याज है। इसके अतिरिक्त जब आवश्यक हो राज्य शासन द्वारा अधिविकर्ष भी दिया जाता है। यह अवलोकन किया गया कि शासन द्वारा 2002-2003 के दौरान 100 करोड़ रूपये की सीमा तक अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग नहीं किया गया (3 मार्च 2003 से 130 करोड़ रूपये)। यद्यपि 7.34 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भारित 464.52 करोड़ रूपये एक दिन के लिए बाजार उधारियों से सृजित किये गये।

1.8.6 अदेय देयतायें

राजकोषीय देयतायें- लोक ऋण एवं गारन्टियां :- भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य भारत के गणराज्य की सीमा के भीतर राज्य के समेकित निधि की जमानत उन सीमाओं के अधीन यदि कोई हो जैसा कि राज्य विधायिका के अधिनियम के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया, उधार ले सकता है। राज्य विधायिका द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने हेतु नियम पारित नहीं किया गया है।

यह अवलोकन किया जा सकता है कि 20.06 प्रतिशत औसत वृद्धि दर से समग्र रूप से 2001-2002 के राजकोषीय 7421 करोड़ रूपये से बढ़कर 2002-2003 में राजकोषीय देयतायें 8,910 करोड़ रूपये हो गयी है । इन देयताओं का सकल राज्य घरेलु उत्पादन का अनुपात 2001-02 में 24.52 प्रतिशत से बढ़कर 2002-2003 में 26.76 प्रतिशत हो गया है एवं राजस्व प्राप्तियों से 1.64 गुना एवं निजी कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व की तुलना में निजी संसाधनों का 2.71 गुणा है।

निम्न तालिका-16 में राज्य की राजकोषीय देयताओं, उसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद/राजस्व प्राप्तियों से देयताओं का अनुपात, निजी संसाधन एवं बायन्सी इन मानदण्डों के संबंध में तरलशीलता दी गई है।

तालिका 16: राजकोषीय असन्तुलन-मूलभूत मापदण्ड

(करोड़ रूपये में एवं अनुपात प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03
राजकोषीय देयतायें	7421	8910
वृद्धि की दर	--	20.06
राजकोषीय देयताओं का अनुपात		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	24.52	26.76
राजस्व प्राप्तियां	169.58	164.48
राजकोषीय देयताओं की तरलशीलता		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	--	2.00
राजस्व प्राप्ति	--	0.84

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा सृजित कुछ देयताओं के जैसे कर्जों के पुनर्भुगतान, अंशपूँजी आदि के निराकरण तथा इनके द्वारा ब्याज एवं लाभांश के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटियाँ दी जाती है। ये राज्य की आकस्मिक देयताएं निर्मित करती है। राज्य विधानमण्डल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसा नियम पारित नहीं किया गया है जिसमें सरकार राज्य के संचित निधि की जमानत पर अधिकतम सीमा तक गारन्टी दे। वित्त लेखे का विवरण IV दर्शाता है कि 2002-2003 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा नगरपालिकाओं, निगमों एवं नगरों को 309 करोड़ रूपये राशि की गारंटी दी गई । 31 मार्च 2003 की स्थिति में लम्बित राशि 266 करोड़ थी। 1 नवम्बर 2000 से पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य मध्यप्रदेश द्वारा 9710 करोड़ रूपये गारंटी के रूप में दिए गए, जिन्हें मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ उत्तरवर्त्ती राज्यों के मध्य नियत दिन को अब भी विभाजित किया जाना है।

बढ़ती देयताएं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को बनाये रखने की समस्या सृजित करती है। राजकोषीय देयताओं पर ब्याज दर का दवाब तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मध्य एक सकारात्मक सूचक विद्यमान राजकोषीय देयताओं की निरंतरता का एक संसूचक है।

ब्याज दर दवाब, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर एवं ब्याज का फैलाव के संदर्भ में ऋण, प्रमाणिकता, को तालिका-17 में दर्शाया गया है ।

तालिका-17

ऋण प्रामाणिकता

ब्याज दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03
भारित ब्याज दर	10.73	9.96
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	--	10.02
ब्याज का फैलाव	--	0.06

पूर्व में संकुचित देयताओं एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात् निबल निधियों की उपलब्धता ऋण प्रामाणिकता के लिये अन्य महत्वपूर्ण सूचक है।

पिछले दो वर्षों से ऊपर के आन्तरिक ऋण की प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान की स्थिति नीचे तालिका-18 में दी गई है।

तालिका - 18 उधार निधियों की निबल उपलब्धता

(करोड़ रूपये में)

		2001-02	2002-03
आन्तरिक ऋण			
(क)	प्राप्तियां	653.75	1179.19
(ख)	पुनर्भुगतान (शोधन निधि सहित मूल+ब्याज)	341.51	417.09
(ग)	उपलब्ध निबल निधि (क-ख)	312.24	762.1
(घ)	उपलब्ध निबल निधियां (प्रतिशत) उ.नि.नि X 100/प्राप्तियाँ	48	65
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ			
(च)	प्राप्ति	340.86	434.12
(छ)	पुनर्भुगतान (मूल+ब्याज) निधि सम्मिलित कर	501.13	754.39
(ज)	उपलब्ध निबल निधियां (च-छ)	(-) 160.27	(-) 320.27
(झ)	उपलब्ध निबल निधियां (प्रतिशत)	(-) 47	(-) 74
कुल लोक ऋण (अन्य देयतायें)			
(त)	प्राप्तियाँ	1154	1489.44
(थ)	पुनर्भुगतान (मूल+ब्याज)	1921	1668.66
(द)	उपलब्ध निबल निधियां (त-थ)	(-) 767	(-) 179.22
(ध)	उपलब्ध निबल निधियां (प्रतिशत)	(-) 66	(-) 12

1.9 घाटे का प्रबन्धन

1.9.1 राजकोषीय असन्तुलन

सरकारी लेखे में घाटा उसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को दर्शाता है । घाटे की प्रकृति वित्तीय व्यवस्थापन में सरकार की दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण संसूचकांक है । इसके अतिरिक्त घाटे की वित्त व्यवस्था के तरीके तथा इस प्रकार से सृजित संसाधन का उपयोग भी सरकार की राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं।

राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य 2001-02 के 569 करोड़ रूपये से घटकर वर्ष 2002-03 में राज्य का राजस्व घाटा (वित्त लेखे का विवरण -1) 113 करोड़ रूपये रह गया है। राजकोषीय घाटा जो सरकार की कुल उधारियाँ एवं कुल

संसाधन के अन्तर को प्रदर्शित करता है, वर्ष 2001-02 के 1117 करोड़ रूपये से घटकर वर्ष 2002-03 में 973 करोड़ रूपये रह गया। राज्य के वित्त का प्रारंभिक घाटा भी 2001-02 में 386 करोड़ रूपये से वर्ष 2002-03 में घटकर 163 करोड़ रूपये रह गया जो तालिका-19 में दर्शाया गया है ।

तालिका-19: राजकोषीय असन्तुलन आधारभूत मापदण्ड

(मूल्यः करोड़ रूपये में एवं अनुपात प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03
राजस्व घाटा	569	113
राजकोषीय घाटा	1117	973
प्रारंभिक (घाटा(-)/आधिक्य (+)	386	163
राजस्व धाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.88	0.34
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद.	3.69	2.92
प्रारंभिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.28	0.49
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.50	0.12

2001-02 में राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटा 0.50 प्रतिशत से घटकर 2002-2003 में 0.12 प्रतिशत रह गया। 2002-2003 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व घाटा घटकर 0.34 प्रतिशत एवं वित्तीय घाटा 2.92 प्रतिशत रह गया। राजस्व घाटे की उपस्थिति यह इंगित करती है कि राज्य की प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को पूर्ण करने के लिए सक्षम नही थी तथा सरकार को वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिये निधियाँ उधार लेनी पड़ी ।

1.10 वित्तीय अनुपात

राज्य की वित्त व्यवस्था पोषणीय, लचीली एवं अभेद्य होना चाहिये पर्याप्तता एवं उपलब्ध संसाधनों की प्रभावशीलता एवं उनको लागू करना, संबंधित क्षेत्र को उभारना एवं इसके महत्वपूर्ण पहलू रखने के निर्धारण में सहायता करने के कुछ मूल संदर्शको के संदर्भ में 2001-2003 पर सरकार की वित्तीय स्थिति की सारांशीकृत स्थिति नीचे तालिका 20 में दर्शायी गयी है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वंय के करों का अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता दर्शाता है । राजस्व प्राप्तियों की तरलशीलता कर शासन प्रणाली एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य के संसाधनों पर बढ़ती हुई पहुँच को दर्शाता है। कर प्राप्तियों में राज्य के संसाधनों से केवल कर राजस्व, एवं कर भिन्न राजस्व ही नहीं अपितु केन्द्र सरकार से स्थानातरण भी शामिल है । राज्य की जिनपर प्रत्यक्ष सेवायें बाध्यता का प्रावधान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के लिये उपयोगकर्ता प्रभार प्रावधित नहीं हैं, एवं केन्द्रीय पुल के साधनों पर हक के संसाधानों की पात्रता पर पहुँच को इंगित करता है। ये अनुपात 2001-03 के दौरान लगातार सुधार, संसाधनों का संचालन एवं पोषणीयता को इंगित करता है।

राज्य के व्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न अनुपात व्यय की गुणवत्ता एवं साधनों के संचालन से संबंधित पोषणीयता को इंगित करते हैं । 2001-2002 के तुलना में वर्ष 2002-03 में कुल व्यय से राजस्व व्यय का अनुपात कम हुआ है जबकि वर्ष 2002-03 में कुल व्यय से पूँजीगत व्यय अनुपात में 13.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका-20: राजकोषीय दक्षता के अनुपात (प्रतिशत में)

राजकोषीय अनुपात	2001-02	2002-03
साधनों का संचालन		
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.46	16.27
राजस्व तरंगशीलता		2.37
स्वंय के कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.59	6.99
व्यय प्रबन्धन		
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.18	19.25
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	79.53	84.52
राजस्व व्यय/कुल व्यय	89.88	86.28
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	10.12	13.72
विकास व्यय/कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय)	63.99	67.56
राजस्व व्यय से कुल व्यय की तरंगशीलता		69.27
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की तरंगशीलता		49.73
राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन		
राजस्व घाटा (करोड़ रूपये में)	569	113
राजकोषीय घाटा (करोड़ रूपये में)	1117	973
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रूपये में)	386	163
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	50.94	11.61
अन्य वित्तीय स्वास्थ्य के प्रदर्शक		
निवेश का प्रतिफल	32.68	71.34
बी.सी.आर	105	612
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयतायें	0.38	0.47

राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ह्रासमान के साथ साथ निवेश में प्रतिफल की वृद्धि दर्शाता है।

निष्कर्षः- नवीन छत्तीसगढ़ राज्य में भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों को समाविष्ट कर 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के संदर्भ में प्रत्येक प्रकरण में संयुक्त मध्यप्रदेश की नवम्बर 2000 पूर्व की परिसम्पत्तियाँ तथा देयताओं का बटवारा तथा अन्य वित्तीय समायोजन अभी तक पूर्ण नही हुआ है । इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त ही राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रदर्शित होगी।